XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

प्रकरण कमांक R/1525/15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-6-15	प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 30/अ–21/2012–13 शासन विरूद्ध हेमराज में प्रचलित कार्यावाही से परिवेदित होकर म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा–50 एवं संशोधन अधि. के तहत प्रस्तुत की गई है। 2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता नितेन्द्र सिंघई उपस्थित उनके तर्क श्रवण किये गए। 3. आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि इस प्रकरण में तहसीलदार राजनगर के प्रतिवेदन के आधार धारा 182 म.प्र.भू.रा.सं. के तहत कार्यावाही प्रारंभ की गई है। जिसके आधार पर स्वमेव निगरानी के तहत प्रकरण लगभग 30 वर्ष बाद क्रयशुदा भूमि के संबंध में प्रकरण प्रारंभ किया जाना न्यायसंगत नहीं है। इस कारण उन्होंने प्रचलित कार्यावाही समाप्त किए जाने का अनुरोध किया हैं। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि इस प्रकरण में संवत 2028 से 2033 तक पट्टा स्वीकृत किया गया था। 2028 से 1979–80 तक पट्टेधारी का नाम दर्ज रहा शासन द्वारा अधिसूचना के तहत उसे भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किए जाने के उपरांत भूमि का विक्रय किया गया है। इस कारण प्रस्तावित कार्यवाही समाप्त किए जाने योग्य है। उन्होनें न्यायिक दृष्टांत आर.एन. 2013 पृष्ठ 8 माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले द्वारा पारित का हवाला देते हुए अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण को समाप्त किए जाने का अनुरोध किया है। 4. मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में संलग्न दस्तावेज एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण में तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर स्वमेव निगरानी के तहत कार्यावाही प्रारंभ हुई है। प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि पट्टाधारी को अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा संवत 2028 सें 2033 तक पट्टा स्वीकृत किया गया। 1979–80 तक पट्टाधारी के नाम दर्ज होने का उल्लेख पाया जाता है। म.प्र. शासन द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार कब्जाधारियों को भूमि स्वामी घोषित किए जाना	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश
	उपबंधित है। इस आधार पर विक्रयपत्र दि. 27.1.1984 को किए गए अंतरण में सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक नहीं मानी जा सकती है। इस कारण तहसीलदार राजनगर के प्रतिवेदन दिनांक 30.3.2013 एवं अनुविभागीय अधिकारी राजनगर का प्रतिवेदन दिनांक 10.4.2013 को स्थिर रखा जाना नहीं पाता हूँ। 5. उपरोक्त विवेचाना के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा 30 वर्ष बाद प्रचलित कार्यावाही वैद्यानिक न होने से समाप्त करते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य

निगरानी 1525-I-15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

बद्री पटैल तनय शीतलप्रसाद पटैल
ग्राम बसारी तह राजनगर जिला छतरपुर ......निगरानीकर्ता

विरूद्व

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में लंबित प्र. क्र 30/अ–21/12–13 में की जा रही कार्यवाही व तहसीलदार राजनगर के प्रतिवेदन दिनांक 30/3/13 एंव अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के प्रतिवेदन दिनांक 10/4/13 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रही है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि का बंटन सम्वत् 2028 से 2033 तक का बाबूलाल नाई को की गयी थी जिसे पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर निगरानीकर्ता एंव अन्य द्वारा क्रय किया गया जिसके आधार पर राजस्व अभिलेख में निगरानीकर्ता व अन्य के नाम का नामांतरण स्वीकृत किया गया परंतु 30 वर्ष की लंबी अवधि पश्चात् तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी के गलत प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की जा रही है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत रूप से उपयोग करते हुए विधि विपरीत कार्यवाही की जा रहीक है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर को इस बात को मानना चाहिए था कि प्रकरण में समस्त कार्यवाही करीब 30 वर्ष पूर्व की गयी थी जिस कारण